

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

पत्रांक 2261/न्याय सहायक/कोरोना वायरस/2021

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

दिनांक: 13-07-2021

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के थ्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 613/पॉच-5-2021 दिनांक 03 अप्रैल, 2021 के द्वारा कन्टेनमेंट जोन के सर्वेक्षण हेतु आवासों की संख्या का निर्धारण निम्नवत किया गया है:-

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 25 मीटर की परिधि में कन्टेनमेंट जोन होगा।
 - (2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, क्लस्टर की स्थिति में, कन्टेनमेंट जोन का दायरा 50 मीटर की परिधि का होगा।
 - (3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक सक्रिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेनमेंट जोन निर्धारित किया जाये।
 - (4) बहुमंजिला भवन में एक कोविड धनात्मक केस संसूचित होने की स्थिति में भवन के जिस तल पर उस केस का आवास हो, उस तल को कन्टेनमेंट जोन तथा बहुमंजिला भवन में एक से अधिक कोविड धनात्मक केस संसूचित होने की स्थिति में संबंधित टावर को कन्टेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया जायेगा।
- गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सीएक्स-3 दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियों अनिवार्यतः की जाए-

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमत्य की जाए।
- (b) कन्टेनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
- (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।
- (d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेस्टिंग की जाए।
- (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्ट्रैक्ट ट्रेसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हांकन, ट्रेसिंग, क्वारेन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये (यथा सम्भव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिन्हित कर लिये जाए)।
- (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आईसोलेशन (यदि वो होम आईसोलेशन की शर्तें पूर्ण करते हैं तो होम (आईसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
- (g) आवश्यकतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की सतत निगरानी रखी जाए।
- (h) आई0एल0आई/एस0ए0आर0आई0 के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लिनिक अथवा मौबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।
- (I) कोविड-19 से संबंधित अनुमत्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2021 दिनांक 13-07-2021 में अवगत कराया गया है कि "कोविड-19 वायरस के संक्रमण की सेकेण्ड वेव फैल जाने से संक्रमण की गम्भीरता के दृष्टिगत जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की सम्भावना बनी रहती है। "




महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 17 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं—मौ० करनपुरी, रामनगर, नगरीय क्षेत्र गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम नगला करन, वि०ख० लखावठी, तहसील बुलन्दशहर, सी०आई०एस०एफ० कालोनी, नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, मौ० मण्डी हरदेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई, ब्रज विहार कालोनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम रतनपुर वि०ख० व तहसील डिबाई, मौ० नमक मण्डी, नगरीय क्षेत्र डिबाई, जोखाबाद, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम लौंगा, वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम हिंगवाड़ा, वि०ख० बी०बी०नगर, तहसील स्याना, ग्राम डावर, वि०ख० अरनियां, तहसील खुर्जा, ग्राम शहजादपुर कनैनी, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम कोटा, वि०ख० गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम अचलपुर, वि०ख० अरनियां, तहसील खुर्जा, ग्राम गाजीपुर वीरूपुर, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम मोहाना, वि०ख० गुलावठी, तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम चित्तसोना, वि०ख० बी०बी०नगर, तहसील स्याना बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 13-07-2021 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-20171 है, 237 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में हैं। जनपद में 240 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।


उपरोक्त परिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त


अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।


अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

तापनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2021

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर

दिनांक-13.7, 2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि कोविड-19 वायरस के संक्रमण की सेकेण्ड वेव फैल जाने से संक्रमण की गम्भीरता के दृष्टिगत जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टेण्डों, सब्जी मंडियों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

B.

प्रभारी निरीक्षक
स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर